



कार्यालय जिला पंचायत जशपुर, जिला.जशपुर (छ0ग0)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान"

E-mail ID- zp-jashpur.cg@nic.in, nrlm.jashpur@gmail.com



क्रमांक 2875 / जि.पं. / एन.आर.एल.एम. / 2025-26

जशपुर, दिनांक 20-03-2026

// विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर छ.ग. के पत्र क्रमांक 306/3433/2024/22-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.01.2025 में दिए गए पदों की भर्ती हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर मिशन संचालन, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर-19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 17.01.2025 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विकासखण्ड स्तर के रिक्त संविदा पद क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक की नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 20-03-2026 से दिनांक 06-04-2026 तक सायं 5.00 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) पिन 496331 के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। सीधे अथवा ई-मेल के माध्यम से एवं निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. पदों का विवरण:-

क्र.	जिला/विकासखण्ड स्तर	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	आरक्षण रोस्टर अनुसार पद संख्या											
				अनारक्षित			अजजा			अजा			अपिव		
				मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	मुक्त	महिला	भू.पू.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	विकासखण्ड स्तर	क्षेत्रीय समन्वयक	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2		लेखा सह एम.आई.एस. सहायक	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

2. पदों का वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु.में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490/-	शिक्षा - 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। अनुभव - स्नातक उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्मूलन/आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक लिखित/कोशल परीक्षा	35 20 20 10 05 10
2	लेखा सह एम.आई.एस. सहायक	23,350/-	शिक्षा - 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। वांछनीय योग्यता- टैली सर्टिफिकेट वाले	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35 20 20

(Handwritten signature)

		अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। अनुभव – स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (निति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का कार्यानुभव।	न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
			छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
			कौशल परीक्षा	10

3. नियम एवं शर्तें:-

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक से दिनांक.....तक सायं 5.00 बजे तक कार्यालय, जिला पंचायत जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) पिन-496331 में स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र में फोटो, समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज की प्रति आवेदक द्वारा स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।
- लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेखित किया जावे।
- विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छ. ग. निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी।
- किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं व्यवहार के आधार पर एवं शासन के निर्देशानुसार एक बार में एक वर्ष के लिए कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन लागू होंगे।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जाएगा।
- अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता, जावक क्र./दिनांक, जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम व हस्ताक्षर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जाए। पद से संबंधित नियुक्ति आदेश अनिवार्य संलग्न किया जावे। इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव का अंक दिया जाएगा।
- आवेदक द्वारा दिए गए गैर शासकीय संस्था के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में जिस खाते में सैलरी/मानदेय जमा होता हो उस खाते का कम से कम 06 माह का बैंक स्टेटमेंट अथवा बैंक पासबुक (जिसमें सैलरी जमा दिखाई दे) जमा करना अनिवार्य होगा।
- शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
- यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के लिए 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं



लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदकों को जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसी वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।

19. यदि किसी आवेदक की अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो, उन आवेदकों को अपने विद्यालय से कुल प्राप्तांक, पूर्णांक एवं प्रतिशत की प्रमाणित प्रति लेकर जमा करना अनिवार्य होगा।
20. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा।
21. प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा-आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन जिले के वेबसाइट www.jashpur.nic.in में किया जाएगा। समय-समय पर इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी।
22. दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि में केवल आवेदन पत्र में भरे गए दस्तावेज के संबंध में ही मान्य किया जावेगा। अन्य नवीन दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
23. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो तो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी।
24. आवेदक, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
25. कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा और पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
26. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
27. विज्ञापन से संबंधित जानकारी हेतु जिला पंचायत जशपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.jashpur.nic.in अवलोकन किया जा सकता है।
28. लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के पूर्व निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति की जांच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने पर ही लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा देने हेतु अभ्यर्थी पात्र होंगे। अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेजों की एक-एक स्व प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा:-
 - 28.1 10 वीं अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
 - 28.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
 - 28.3 संबंधित डिग्री।
 - 28.3 छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - 28.4 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
 - 28.5 पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)।
 - 28.6 अनुभव प्रमाण-पत्र।
 - 28.7 अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - 28.8 नियुक्ति आदेश।
 - 28.9 बैंक स्टेटमेंट/पासबुक।
 - 28.10 अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।
29. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

AK

30. उक्त संविदा भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
31. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर/चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)

संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव :-

विभाग/संस्था	पदनाम	अनुभव अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव (माह में)

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.6.....
2.7.....
3.8.....
4.9.....
5.10.....

—:घोषणा:—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त पद हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां पूर्ण रूप से सत्य हैं। तदोपरांत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारियां/दस्तावेज असत्य, अपूर्ण पाए जाने पर मेरा अवेदन/सेवाएं निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

मो.नं.-.....